न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2025/9 दर्ज तिथिः–15.01.2025

1. प्रधानाचार्य राउमावि नेडीनाडी जरिये पटवारी पटवार हल्का नेडीनाडी

......................प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमन्ना–बाड़मेर।

.........................असल विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश कुमार
अप्रार्थीगणः–पैरोकार सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–11.03.2025

प्रार्थना–पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा –131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राज्य सरकार का खसरा संख्या 344/8.9840 है0 का ग्राम नेडीनाडी तहसील धोरीमन्ना में आया हुआ था जिसमें से क्षेत्रफल 0.8094 है0 राजकीय प्राथमिक विधालय नेडीनाडी के लिए आवंटित किया गया है जिससे अलग से खसरा संख्या 344/1 कायम हुआ तथा राज्य सरकार का मूल खसरा संख्या 344 क्षेत्रफल 8.1746 हैक्टेयर शेष रहा। मौके पर राजकीय प्राथमिक विधालय नेडीनाडी का भवन निर्माण किया तथा शेष आराजी के चारों तरफ सीणों की चार दीवारी का बनाई गई। वर्तमान में प्रधानाचार्य द्वारा जब राजस्व रेकर्ड प्राप्त किया गयां तो पाया कि राजस्व रेकर्ड में राजकीय [illegible] विधालय के नाम की गई तरमीम खसरा संख्या 344/1 विधालय भवन व [illegible] दीवार के भौतिक कब्जे से भिन्न थी। आवंटन के समय राजस्व कार्मिक ने तरमीम [illegible]करण के पुश्त भाग पर नहीं की तथा स्कूल को मौके पर नाप कर के अलग [illegible] कायम कर के दे दिया गया तथा बाद में लठ्ठा ट्रेस पर तरमीम करते समय [illegible] अनुसार नहीं करके [illegible] से भिन्न स्थान पर कर दी गई। इसलिए भौतिक कब्जे के अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है। तथा राजस्व रेकर्ड में राजकीय प्राथमिक विधालय दर्ज है जबकि स्कूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:18:12 IST
Reason: SelfAttested

क्रमोन्नत होने से राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय नेडीनाडी होने से नाम दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक 195 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लट्ठा ट्रेस में दर्ज तरमीम व वर्तमान भौतिक कब्जे में अन्तर है जिसे रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है। वर्तमान भौतिक कब्जे के अनुसार तरमीम परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किया जाना उचित होने का लिखित उल्लेख किया गया है। मौके पर परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

3. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा अंतिम बहस की गई।विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारानकी जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–131 136 पर बहस	
1. प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट में पेश नजरिये नक्शा परिशिष्ट "ब" के अनुसार खसरा संख्या 344 व 344/1 की तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा राज्य सरकार के नाम शेष रही आराजी में अन्य कोई सरकारी भवन निर्माण में कोई तकनीकी त्रुटी नही रहेगी तथा खसरों के क्षेत्रफल भी यथावत रहेंगे इसलिए परिशिष्ट 'ब" अनुसार तरमीम दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन पेश किया।	1. पैरोकार सरकार ने तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रधानाचार्य राउमावि नेडीनाडी बनाम तहसीलदार धोरीमन्ना
2025/9
निर्णय दिनांकः–11.03.2025

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि मौके पर तरमीम त्रुटीपूर्ण है तथा विप्रार्थी के रिपोर्ट में संलगन नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु दोनो पक्ष सहमत है तथा उसी अनुसार तरमीम पुनः दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थी_ के खसरा संख्या 344/1/0.8094 है0 की वर्तमान तरमीम मौके पर निर्मित स्कूल भवन व चार दीवारी के विपरीत होने से तथा शेष विप्रार्थी राज्य सरकार के नाम रहे खसरा संख्या 344/8.1746 है0 की भूमि मौके पर खाली होने से विप्रार्थी की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 24.01.2025 के साथ संलग्न उभयपक्षकारों की सहमति युक्त नजरी नक्शा 'परिशिष्ट– 'ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा 'परिशिष्ट–ब' के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.01.2025 व नजरी नक्शा 'परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 11.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

11/3/2025

(भागीरथ राम, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.03.26 14:13:12 IST
Reason: SelfAttested